

-
प्रेस नोट
सराहनीय कार्य जनपद बागपत

दिनांक 04.11.2020

थाना बडौत पुलिस द्वारा 03 षातिर चोर गिरफ्तार, तीन घटनाओं का खुलासा, कब्जे से चोरी के 4850 रुपये व 03 तमंचे 315 बोर मय कारतूस नाजायज बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता :-

- 1-उम्मेद पुत्र जाकिर उर्फ सुक्का निवासी ग्राम औसिक्का थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-वलीश पुत्र अल्ताफ निवासी ग्राम औसिक्का थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-मुस्तफा पुत्र जरीफ निवासी ग्राम औसिक्का थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण :-

- 1-चोरी के 4850 रुपये।
- 2-तीन तमंचे 315 बोर मय 03 कारतूस।

अनावरण हुई घटनाएं :-

1-दिनांक 03.09.2020 को वादी संजीव पुत्र सिहाब सिंह निवासी ग्राम मलकपुर थाना बडौत की रात्रि में दुकान से 125000 रुपये का परचून का सामान, 18000 रुपये नगद व 04 बडे बैटरे चोरी करने के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0स0 713/2020 धारा 457,380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

2-दिनांक 20.09.2020 को वादिया प्रमिला पत्नी सुरेषपाल निवासी ग्राम खेडा इस्लामपुर थाना बडौत के मकान का दरवाजा तोडकर सोने चांदी के जेवरात चोरी करने के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0स0 769/2020 धारा 457,380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

3-दिनांक 09.10.2020 को वादी सुनील जैन पुत्र रोषन लाल निवासी महावीर मार्ग कस्बा व थाना बडौत की पत्नी की गले की चैन तोडकर ले जाने के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0स0 853/2020 धारा 356 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही :-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों की धरपकड हेतू चलाये जा रहे अभियान के अर्न्तगत दिनांक 04.11.2020 को समय करीब 01:05 बजे थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान छपरौली रोड नहर पुलिया से अभियुक्त 1-उम्मेद पुत्र जाकिर उर्फ सुक्का 2-वलीश पुत्र अल्ताफ 3-मुस्तफा पुत्र जरीफ निवासी गण ग्राम औसिक्का थाना बडौत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 4850 रुपये, 03 तमंचे 315 बोर मय 03 कारतूस नाजायज बरामद किये गये। अभियुक्तों द्वारा थाना बडौत पर पंजीकृत मु0अ0सं0 713/2020 धारा 457,380 भादवि व मु0अ0सं0 769/2020 धारा 457,380 भादवि व मु0अ0सं0 853/2020 धारा 356 भादवि की घटनाओं का इकबाल किया है।

थाना बागपत पुलिस व एसओजी टीम द्वारा दिल्ली के नीरज बवाना गैंग के दो शातिर शराब तस्कर बाद मुठभेड़ घायल/गिरफ्तार, कब्जे से दो तमंचा 315 बोर मय कारतूस व खोखा नाजायज व एक ग्रान्ड आई-10 कार व 18 पेटी देशी शराब हरियाणा मार्का नाजायज बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

1-यूसुफ पुत्र शौकीन निवासी ग्राम खानपुर थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद। (उम्र करीब 35 वर्ष)

2-फिरोज पुत्र याकूब निवासी पट्टी भुवाला कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत। (उम्र करीब 36 वर्ष)

बरामदगी का विवरण :-

1-दो तमंचे 315 बोर, 04 जिंदा कारतूस व 4 खोखा कारतूस।

2-एक कार ग्रान्ड आई-10 नम्बर डीएल 9 सीएए 5528 ।

3-18 पेटी देशी शराब सन्तरा हरियाणा मार्का नाजायज ।

घटना का संक्षिप्त विवरण एवं पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही :-

कोतवाली बागपत पुलिस व एसओजी बागपत की संयुक्त टीम द्वारा आज दिनांक 04.11.2020 को समय करीब 14:35 बजे त्योहारों के मद्देनजर की जा रही चैकिंग के दौरान नैथला मोड़ से बाद मुठभेड़ 02 शातिर शराब तस्कर 1-यूसुफ पुत्र शौकीन निवासी ग्राम खानपुर थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद 2-फिरोज पुत्र याकूब निवासी पट्टी भुवाला कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में उक्त दोनो अभियुक्त पैर में गोली लगने से घायल हो गये। घायल दोनो अभियुक्तों को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभियुक्तों के कब्जे से दो तमंचे 315 बोर मय 04 जिंदा व 04 खोखा कारतूस, एक ग्रान्ड आई-10 कार नम्बर डीएल-9सीएए-5528 मय हरियाणा प्रान्त से तस्कर कर लाई जा रही 18 पेटी देशी शराब हरियाणा मार्का नाजायज बरामद हुई है। पूछताछ में प्रकाश मे आया है कि गिरफ्तार अभियुक्त युसूफ दिल्ली के नीरज बवाना गैंग का सक्रिय सदस्य है तथा इस गैंग के लिए काम करता है । गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास ज्ञात किया जा रहा है।